

भारतीय गैर न्यायिक भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500
GICIAL

INDIA NO.



माधुरी देवी

उत्तर प्रदेश क्रोधाधिकारी

★★★ 27 NOV 2018 ★★★

गाजीपुर

AB 514057

श्री बाबूनन्दन महिला शिक्षण संस्थानन्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास आज दिनांक 12/12/18 को गाजीपुर, गाजीपुर में श्रीमती माधुरी देवी उत्तर प्रदेशी संघीयता यादव, याम – नैसारा, पीरट – नैसारा, विकास खण्ड – देवकली, पा तहसील – गाजीपुर जनपद द्वारा प्रोवित किया गया।

जिन्हे आगे न्यासकार्ता / संस्थापक कहा जाएगा व्योर्डिंग न्यासकार्ता / संस्थापक पर 5000/- (पाँच हजार रुपये) की राशि है जिसे वह पुस्तवार्थ एवं सामाजिक कार्य के लिए देने की इच्छा करते हैं। न्यासकार्ता / संस्थापक उक्त राशि की अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक हैं जो कि समाज और सामाजिक विशेष रूप से विद्या के होते हैं कार्य करेगा व्योर्डिंग यह ट्रस्ट की बाबूनन्दन महिला शिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाएगा तथा कार्य करेगा जिसे की आगे संघीयता में द्रुट भी लाहा जा सकेगा।

व्योर्डिंग ट्रस्ट का न्यासकार्ता व्योर्डिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्टी जा आवश्यक कहा जा सकेगा। न्यासकार्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि व्योर्डिंग ट्रस्टी से दान, उपकरण आदि भी समिलित हैं जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं संस्थानी ओ और बढ़ावे ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रगती का साकार हो तके और न्यासकार्ता / संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/- (पाँच हजार रुपये) की नगद राशि ट्रस्ट के प्रयोग की है और व्योर्डिंग व्योर्डिंग में इस ट्रस्ट का पंचीकृत बनायलिए नगदगत, पीरट – नन्दगांज, विकास खण्ड – देवकली पा तहसील – गाजीपुर, जिला – गाजीपुर रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय याम – नन्दगांज, पीरट – नन्दगांज, विकास खण्ड – देवकली पा तहसील – गाजीपुर जिला – गाजीपुर होगा अधिक तुलियाजनक स्थान मिलने पर उस कार्यालय का सम्पादनासारा समय – समय पर उचित स्थान स्थापात्रित किया जा सकेगा।

व्योर्डिंग न्यासकार्ता / ट्रस्टी अपने द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की घूर्णि नियमावली जिस प्रवक्ता याराबद्ध घोषित किया जा सकता है –

श्री बाबूनन्दन महिला शिक्षण संस्थान

(इंडिक्यन ट्रस्ट एवं 1802 के अन्तर्गत कार्यस ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली

ट्रस्ट के उद्देश्य – ट्रस्ट नियम उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा।

- विवा लिंग भेद के लिये साके प्राचीनिक पाठ्यालय, जूनियर हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रवासीलालयों, अनावृत्यलयों, शुद्धार्थी, संवेदन केन्द्रों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, प्रशासन, एवं संवित्त केन्द्रों, की स्थापना करना, नामकरण, विकास तात्पद्र आदि, प्रबन्धन, संवालन आदि कार्य संकाता तथा आवश्यकता होने पर व्योर्डिंग परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों, स्वामीनों, राजनान आदि से माध्य सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अग्रमोदित, स्वीकृत करा सकाना।

माधुरी देवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

₹.50

INDIA

FIFTY
RUPEES

Rs.50



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 857932

2. धारा विकास अभियान गतिविधियों का संघरण करना।
3. खादी ग्रन्थ उद्योग बोर्ड की व्योजनाओं का संघरण करना।
4. लूपि कार्प हेतु बंजार भूमि का चुयाह एवं बटाव रोक कर जल संरक्षण एवं नदी संरक्षण करना।
5. उद्यानीकरण एवं जंगलात बंध विकास करना।
6. महिला बाल विकास एवं स्थानीय राहगीय हेतु निकिय कार्यक्रम संशोधित करना।
7. प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थानों की स्थापना करना।
8. लूपि, संगीत सम्बन्धी आदि विषयों की शिक्षा तथा उसकी विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।
9. कंपन्द इकाइयां तें भागी विभागों, समग्र संसाधन, समाज कल्याण बोर्ड, नावार्क, कपाट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिया भवित्वात्, समाज कल्याण राहगलकार बोर्ड, महिला बालयान, नेहरू युवा चैम्प, खेलकूद, युवा कल्याण, धान विकास भवित्वात् आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संघरण करना।
10. आईप्राईटी, आईटीआई, फार्मेसी, नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन, टेक्निशियन, सैब टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी आदि मेडिकल कालेजों एवं इन्जीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
11. प्रायोगिक विद्यालय, चम्प प्रायोगिक विद्यालय, महाविद्यालय, बीटीएरी वारोज, बीएएड वारोज, बीएएएड कालेज, डैग्युएड, बीएएएड कालेज, मेडिकल कालेज, संस्कृत विद्यालय, लायूर्ड, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय हस्तादि की स्थापना एवं संचालन करना।
12. स्नायु के सोनो के लिये हार्टट, नर्सिंग होम, स्थानीय कंपनी, मेडिकल स्टोर एवं जनरल स्टोर, विद्याना की दुकान, फोटोस्टूट, कम्पनी, पर्स इत्यादि औं व्यवस्था करना।
13. पुस्तकालय, जनवाचालय, पत्र/पत्रिकाओं, समाचार -पत्रों इत्यादि का इकाशम एवं गुदन, विद्यों एवं गूल्ह का निर्माण करना।
14. अन्य, गूंगे, बहरे, असाहाय लोगों की विद्ये शिक्षा, विकिरण, आदात, गोजन इत्यादि की व्यवस्था करना तथा विकलांग याची के लिए विकलांग विद्यालय की स्थापना करना।
15. विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवसायिक प्रयोगिक वाता, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्लीन, मार्शल आर्ट, संगीत, तालीमीयी, सामाजिक, अत्युनिक भाषा, अंगौली, उर्दू, कम्बूट, झोपेशनल आदि विषयों का विभिन्न उत्तीर्ण विद्या प्राप्त करने का प्रबन्ध करना।
16. विनिन्न प्रायोगिकाओं एवं प्रतिस्पर्शीओं, परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को साप्त बनाकर रुदावतम्बी बनाने हेतु अनके आवश्यक, अव्याप्त, वासास आदि उपकरणों की व्यवस्था करना।
17. पुस्तकों, साहित्य पत्री, पाठ्यक्रमों आदि तथा सुन्धान कराना, साम्यानन, प्रकाशन, मुद्रण, विद्यरम आदि कर सकना।
18. सार्वज्ञक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, इडस कार्यक्रम, अधिकारी, गोपनीयों, शमेलन, प्रतियोगिताएं बैठकें विशेष वकारों, सत्र प्रोत्साहन विकास नावि आयोजित कर सकना।
19. लिंगाई, वादाई, बुनाई इत्यादि विद्या एवं व्यवस्था करना।
20. व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी, ट्रस्ट इत्यादि संघालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, नेडिकल कालेजों, इंजिनियरिंग कालेजों, यो वाप्से ट्रस्ट में जनायोजित कर सकना।
21. ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों तथा सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
22. विधि सम्बंधी उपक्रमों जानकारी का प्राप्त एवं प्रसार कर सकना।

मानुषी देवी

भारतीय गैर-न्यायिक

**पचास
रुपये
₹.50**

भारतीय

FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 857933

23. आमुर्वेदिका औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रयोग-प्रशाप कर सकना।
24. कृषि उपयोगी कार्बन कर सकना वा उनका प्रयोग-प्रसार कर सकना।
25. पर्यावरण वा सुधारमे हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु वामकारी वे सकना एवं संविनार कर सकना।
26. एका के बाहे में जन जागरण करने हेतु प्रयोग-प्रसार कर सकना।
27. मुस्तक, मुस्तिकारे, पत्र / पत्रिकाएं, रामाधार-पत्र आदि को प्रकाशित, रामावित, विड़ी, कर सकना।
28. ट्रस्ट द्वारा वी चार रही रोडों / बस्तुओं के लिये रामुखरा शुल्क / मूल्य / निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
29. पत्राधार द्वारा भूद्यापन, उत्प्रयोग को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्त्वविषयी आवश्यक व्यवस्थायें कर सकना।
30. उपर्योगी अधिकार, पर्यावरणीय सुधार, उसका सुधार जैसे सामाजिक दाखिल के विषय पर वेतना जागृत करने हेतु कर्त्ता कर सकना।
31. धार्मिक संघर्षों का निर्णय व विभागीय कर सकना।
32. जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यकर्त्ता का आयोगन कर सकना तथा कियान्तरण कर सकना।
33. विभिन्न उद्योजनों पर फारणी हेतु ऊपरकार सहायता एवं वित्तीय सहायता, सुविधा इन्ह आदि प्रदान कर सकना।
34. विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विवि महाविद्यालयों, मंडिकल कालेजों, इन्डीविचरिंग कालेजों, टेक्निकल कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा उपर्योग के प्रदान कर सकना।
35. ट्रस्ट के बीच एवं सम्पदा में उद्दि करना, विभिन्नोंन कारण तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
36. ट्रस्ट द्वारा जनसंख्या के वित्तीय कार्य करेगा। ट्रस्ट जनसंख्या अपनी सेवायें / बस्तुओं लागत मूल्य पा ही देने का प्रयोग करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में राष्ट्रक, राष्ट्रज्ञा, राष्ट्राद्वारा, का निर्माण, भाष्टी प्रलम, परमापलन, आदि का प्रयोग कर सकना।
37. ट्रस्ट औकल वित्तीय ताजे के लिये ही कार्त्ती गही करेगा। जनकल्याण की मादना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्त्ती करेगा।
38. ट्रस्ट अपने समरत आय एवं सामाजिक कारोबार एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा।
39. किसानों के उत्पादन एवं विकास हेतु पाली कलीनिक का निर्माण करना।
40. किसानों वे उत्पादन एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना। फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयता व निर्वात करना।
41. संगठन को मजबूत एवं कियाशील बनाने के लिये जिला, प्रदेश एवं देश स्तर पर पदाधिकारियों का घटन करना एवं अधिकार देना।
42. दत्तित / पिछड़ी / अत्पर्याप्तानों का संगठन बनाकर सामाज ने फैली बुराईयों को दूर करना एवं सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर, आर्थिक स्तर वा मजबूत करना।
43. धरना, प्रदर्शन, कार्यक्रम, गोष्ठी, समेलन, रोमिग्राम, आर्थिक अविषेकान के माध्यम से अपनी बात प्रसारन तक पहुँचाना।
44. विष्णु व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिये हार्टसों का निर्माण करना।

माधुरी देवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

₹.50

भारत

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 857934

प्रारम्भिक उपबन्ध :-

1. यात्रामान में द्रुस्ट डॉक को पत्रीकृत को दिनांक से शीघ्रती मध्यमी देवी जो कि न्यायालय एवं इस न्याया डिलेक्ष को रखिया थी है जो इस द्रुस्ट या मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष गैरनिशियत किया जाता है।
2. - प्रार्थी कोई अन्य आवश्यक यात्रामान में मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष शीघ्रती मध्यमी देवी हाप्त संजिस्ट्रूट के बाहर रखिया न की जाय तो मध्यमी देवी की गृह्ण के अवश्यक चरण के उत्तराधिकारी इस द्रुस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ओरमें।
3. यात्रामान मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब जाहे डाप्टा उत्तराधिकारी अपने उत्तराधिकारी को रखाना चाहिए कर राकरे हैं।

मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/ हस्तानान्तरण :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष जी की व्यवस्था कर दे।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष अपने जीवन में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष का पद किसी जो भी घटाव कर राकरा है।
3. किसी भी व्यक्ति को मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष पद करते ही वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो इस द्रुस्ट जीव के मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष हाता अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने के पूर्व मृत्यु ही जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष पर अनिन्य व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी की द्रुस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष बनेगा। कोई अद्वितीय होने पर उत्तराधिकारी अधिनियम की व्यवस्थाओं ने गार्भ दानन प्राप्त किया जा सकता है।
5. यि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी / मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष लिखित रूप में अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दे। मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यही रजिस्टर्ड कराके अध्यक्ष अपनी पतीयत हाता भी रखिया कर राकरा है। इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करता है कि बायालाय मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष हाता अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी को उत्तराधिकार लग से हस्तानान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्जय पर पुनः विदाय नहीं कर सकता।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यवित्त मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को उत्तराधिक रूप से हस्तानान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्जय पर पुनः विदाय नहीं कर सकता।
7. कार्यवित्त मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तानान्तरण विषय पर विदाय एवं पुनः विदाय करने हेतु स्वतंत्र है यथा इक कि यात्राधिक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी जो न प्राप्त कर दें।
8. कार्यवित्त मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष हाता अपने उत्तराधिकारी जो दिया गया कार्यवित्त हस्तानान्तरण समस्त अधिकारी सहित पूर्ण माना जायेगा।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष यहि उद्दित समझे तो विदाय पर विदाय करने एवं बलात्कार प्राप्त करने हेतु और आफ ट्रस्टीज के गहन कर राकरा है। वित्तने कि अधिकाराम 21 सवाल्य होंगे।
2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मतीर्नीत करते समय उसका व्यवहार करती है ताका मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही विना किसी को छोड़ करण बाहर ट्रस्टी के पद से हटा राकरा है।

माधुरी देवी

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
₹.50

पारदाता

FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 857935

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष जब भी उपर्युक्त समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अवधारणा मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा करेगा।
4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विधायी पर विचार करेगा तथा चुनाव देगा जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा चुनियोजित किया जाएगा।
5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टी द्वारा किये गये किसी भी चुनाव को भाना, स्वीकार करना अथवा प्रस्तीकाप करना पूरीतया मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष की इच्छा एवं विचारके पर निर्भर करता है। उस सम्बन्ध में मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष/ मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यकाल एवं सुविधाएँ :-

1. यह कि अध्यक्ष/ ट्रस्टी द्वारा विभिन्न सुविधाओं से दुखा कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इस सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष का निर्णय यी अनियम काय से मान्य होगा।
2. यह कि ट्रस्टी / अध्यक्ष अपना उत्तराधायित वाहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेश/ भत्ते अदि पर यदि कोई आवश्यक लगाना है तो ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा अपनी प्राप्त आय से ही आवश्यक का मुगालान करेगा। ट्रस्ट इसके लिये उत्तराधायी नहीं होगा।

कार्य शेत्र :-

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सामूहीक भारत की होगा। सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र द्वारा दिये गए सहायता एवं सामाजिक उत्थान कर सकता है अथवा सहायता दे सकता है।

मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष के विशेषाधिकार :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष को यह विशेषाधिकारी प्राप्त होगा कि यह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यकारी अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्ताक्षेप कर निरस्ता/ रक्षिकृत आवश्यकता साझोप्रित कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकालान्वयी में किसी भी स्तर पर कोई भी विश्व निर्देश दे सकता है। जो भी सभी सम्बन्धित घटों को अनियम काय से मान्य एवं स्वीकार होगा।
2. ट्रस्ट के हित में मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष ट्रस्ट के पास में किसी भी घल/अघल सम्बन्धित का इच्छा एवं विकाय कर सकता है एवं उसे नियन्त्रित रख सकता है।

संविवेदन/ संपत्तियों की नियुक्ति :-

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन को कार्यी वो जनते एवं देखभाल करने के लिये ट्रस्ट के लिये एक संविवेदन एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अध्यक्ष अधिक उपसाधियों की नियुक्ति कर सकता है।
2. यह कि संविवेदन/ संपत्तियों की वेतन भत्ते, सुविधाएँ, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा नियित किये जायेंगे।

भास्तुरी देवी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये
₹.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 310320

यह कि उत्तर संघीय / उपसंघीय, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुच्छेद तक प्रशासन पर्यन्त कार्य करें। मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष किसी भी समय बिना करण बताये उक्त पदों पर कार्यस्थान व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक / अनुशासनात्मक / प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अध्यक्ष पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित / प्रदान कर सकता है।

स्थापना की नियुक्ति :-

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा के दिन प्रतिवेदन वाले कार्यों को लाने पर वेचाभाल करने के लिये एक उपायक की नियुक्ति एवं आलस्यकाला पढ़ने पर अधिकार वाले उपायकाओं की नियुक्ति कर सकता है।
2. यह कि उपायक / उपायकाओं के गोपन मरते, सुक्रियार्थ कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति किये जायें।
3. यह कि उपायक / उपायकाओं, मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष के अनुच्छेद तक प्रशासन पर्यन्त कार्य करें। मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष किसी भी समय बिना विस्तीर्ण योगों कोई करण बताए उक्त पदों पर कार्यस्थान व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक / प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अध्यक्ष उक्त कार्यस्थान व्यक्ति को उनको पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियों का सकता है अध्यक्ष उक्त पदों के कार्यवाही एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है।

अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य -

यह कि द्वारा वाले के अनुभाव अध्यक्ष/ द्वारा को प्राप्त निभिन्न अधिकार एवं उपर्योगी के अधिकार / द्वारा के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होंगे -

क) बोर्ड आफ ट्रस्टीज की फैटक बुलाना एवं उनकी अध्यकाला करना।

ख) द्वारा के सभी कार्यों का उत्तरवाही बग से घें-घें करने के उपायक, संघीय, उपसंघीयों की नियुक्ति करना।

ग) इस द्वारा बोर्ड में उल्लिखित द्वारा के चाहौदरों एवं नियमाकारी में संरक्षण / परिवर्तन कर सकना जो कि इंजिनियर के यहां अधिकारीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

घ) द्वारा के दिन में चल एवं आगले सम्पत्तियों का क्रय / विक्रय कर सकना एवं उनको निरी/ बन्धक रख सकना।

स्थापना के अधिकार एवं कर्तव्य :-

अध्यक्ष / द्वारा अनुमतिरति ने अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषयों पर विधार - निभाव हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की फैटक बुलाना एवं अध्यकाला करना परन्तु उपायक की अनुमति के बोर्ड निर्भय नहीं ले सकता।

समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

समिति के समस्त कार्यों के लिये द्वारा का संघीय अनियम क्रम से कार्यस्थान एवं उत्तरवाही है द्वारा के संघीय के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं।

1. द्वारा के उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना है।

नाम्युक्ति वेदी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

Rs.20

₹.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

37AA 310293

- १- द्रुट के अन्तर्गत होने वाले सभी क्रियाकलापों एवं विन-प्रतिविन वा गतिविधियों पर नियन्त्रण करना।
- २- द्रुट के अन्तर्गत साधारित बादों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक / प्रशासनिक कार्यालयी कर सकना।
- ३- विभिन्न कार्यकलापों, उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु गोपी/ विभागी/ केन्द्री/ संस्थाओं/ उपसंस्थाओं वा गठन कर सकना तथा उनके अधिकारी/ निर्देशकों/ पदाधिकारियों आदि वा साधारण हेतु आवश्यकांत्युसार नियम/ उपनियम बना सकना।
- ४- द्रुट/ संस्था को ग्राप्त किसी विकायत वा जीव नियंत्रक नियुक्त कर सकना।
- ५- एक से अधिक विशेष वार्ता अधिकारी नियुक्त होने की विधि में उसका कार्य विनाशन कर सकना।
- ६- प्रधान/ प्रतार/ मुद्रा/ प्रकाशन/ वितरण/ विक्रय वा वार्तात्मक व्यवस्था करना।
- ७- उन शासनों के फल्याण्डी विभिन्न अधिकारी वा सकना।

उपस्थिति के अधिकार एवं कार्य :-

- १- समिति की अनुपस्थिति में उसके पद के अधिकार एवं कार्य का पालन करना।
- २- समिति द्वारा विचित्र रूप से ग्राहित करने पर उनके अधिकारों / कार्यों का पालन करना इसे लिखित रूप से प्राप्त है।
- ३- समिति द्वारा विचित्र रूप से कार्यभर / कार्यों का पालन करना।

बैंक एकाउंट का संधारण करना :-

१. द्रुट का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जा सकता, मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष स्वयं अथवा उनके हारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष हारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खोल सकता है अथवा साधारित कर सकता है।
२. द्रुट को अन्तर्गत साधारित अथवा कार्यस्त किसी भी विद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान/ केन्द्र/ कार्यालय इकाई कार्यालय का पृष्ठक भाग से बैंक खाता खोला एवं साधारित किया जा सकता है। इस विधि में उसके द्वारा दिये गये नियंत्रणों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा साधारित किया जा सकता है।

मान्युदी घेवी

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये

₹.10

भारत

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश नियोजित कानूनी संस्था
UPA PRADESH

73AD 284227

यदि संस्था / द्रष्टव्य की ताक़ से कोई विधिले कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो संघिष / अधिकारी की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायिकाओं में पैरवी साध या अन्य को अधिकृत कर सकता है।

सम्बति सम्बन्धी :-

- 1- द्रष्टव्य, घल / अधिल सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक / व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।
- 2- द्रष्टव्य की ओर से घल / अधिल सम्पत्ति के सम्बन्ध में द्रष्टव्य की ओर से कोई निर्णय लेने / सेवा विनियोग बनाने हेतु अधिकारियों द्वारा कर सकता है।
- 3- द्रष्टव्य के अध्यक्ष द्रष्टव्य की आरे से घल / अधिल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी सेवा - विसेवा बनाने एवं निर्णयकालीन हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
- 4- द्रष्टव्य घल / अधिल सम्पत्ति के कार्य-विकास कर सकता है रेहन रख सकता है विनाये पर दे सकता है अथवा दे सकता है उन्हें गिरियाँ / बन्धक रख सकता है।
- 5- द्रष्टव्य किसी भी व्यक्ति, दान, उपहार, आपडे भेट सम्मान, पुरस्काराद्वारा समृद्धि दिनह, मानदेव आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
- 6- द्रष्टव्य घल को कही भी विनियोजित कर सकता है। सुरक्षित कर सकता है। किसी वैक संस्था, कम्पनी आदि की किसी गोजना में घल / सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
- 7- घल / अधिल सम्पत्ति की प्रत्यागृहीत, चाला कर्य, अनुकूलित, बन्धक, भरिता गिरियाँ, विभाजन आदि कर सकता है / दे सकता है, ए सकता है।

विशेष :-

- a) - इस द्रष्टव्य के अन्तर्गत संघिता / कार्यस्त किसी भी विद्यालय / महाविद्यालय / कार्यक्रम / इकाई / कार्यालय / संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम / उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु यह इस कोड आफ द्रष्टव्य श्री बहुमदन गहिला विकास संस्थान के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राक्षिपण या अतिक्रमण करते हैं तो घल नियम / उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक हूँय होगी।
- b) अधिक / द्रष्टव्य यदि उवित शामिल हो किसी / किसी परिस्थितियों में इस द्रष्टव्य की दो किसी / किसी प्राक्षिपणी / प्राक्षिपणी को विनियोग कर सकते हैं तथा प्राक्षिपण / प्राक्षिपणों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय से सकते हैं। इस सम्बन्ध में अधिक जा विक क्षमता ही अनिवार्य होगी। इस घल के अन्तर्गत अधिक द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कही भी किसी भी व्यक्तिगत नहीं हो सकती। श्री बहुमदन गहिला विकास संस्थान की उपर न्यास विलेख एवं

मान्युदी पैरी

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रूपये

₹.10

ભારત ફો

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH अहिला विकास संस्थान के उद्देश्य एवं विवरणीय एवं नियमों के अनुसार संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इसमें सौभाग्यता श्री बीबीपी अहिला विकास संस्थान के उद्देश्य एवं विवरणीय एवं नियमों के अनुसार संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

३०८

१. नाम - द्वारा जी सिंह भाट बुद्धतीर्थ देवी (श्रीमती माधुरी देवी) माधुरी देवी
पति - श्री. विजय भाट बुद्धतीर्थ देवी (संत्रियापक / अध्यक्ष)

ପତ୍ର-୨୮. ଫିଲୋଗ୍ରେଫ୍ସ ହୀଲ୍-ସୈଂପୁଟର୍. ବାଲିକ୍ସ

क्षमता भाष्यक द्वारा)
 (संख्यापक / अभ्यास)
की बाल्कनद्वय महिला विज्ञान संस्थान
 गुरुग्राम — हाजीपुर

1

**नाम— पवन गोदव फुर्झी हिरामाद्व
पता— ग्राम- दनोधर परगना नवरील संदर्भ**

महाप्रिदावली -

हाईफिकर्ट - राजवा चूगार,
दिया कम्पनीटर सीक्युर

क्रम 2650 हरा 10/- दिनांक 13/12/18
संख्या 2642 की संख्या चंचल

स्थान्य विक्रेता—अल्लन कुमार पाण्डेय
लाइनो—114 लायडि 31 मार्च 2015 से 2020
तहसील परिसर सैदपुर—गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी

★ ★ ०५ Dec 2018 ★ ★

गाजीपुर

वही संख्या 4 जिल्द संख्या 42 के पृष्ठ 11 से 28 तक क्रमांक 95 पर
दिनांक 13/12/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी जानेन्द्र बहादुर सिंह

उप निवांधक : सैदपुर

गाजीपुर

13/12/2018

प्रिंट नं.

